

9 JP 09/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 207681

न्यास घोषणा पत्र



मैं, ममता त्रिपाठी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद निवासी 1370/8, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर संस्थापक एवं प्रबन्ध ट्रस्टी पं० मुरलीधर त्रिपाठी, पयागीपुर, सुलतानपुर उ०प्र० (प्रधान कार्यालय) को स्वतंत्र आर्थिक एवं कानूनी व्यवस्था सम्पन्न ट्रस्ट घोषित करती हूँ यह ट्रस्ट बिना किसी जाति लिंग एवं सम्प्रदाय भेद के सार्वजनिक हित में कार्य करेगा और चैरिटेबुल प्रकृति का होगा इस ट्रस्ट मण्डल के निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे।

- अ. मैं, ममता त्रिपाठी निवासी-1370/8, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ०प्र०)-प्रधान न्यासी/अध्यक्ष।
- ब. सुशील कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम कुमार, निवासी 1370/18, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ०प्र०)-न्यासी।
- ब. श्रीमती विमला पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट डुडवा जमौली, जनपद कानपुर नगर न्यासी।
- द. प्रेम कुमार पुत्र स्व० मुरलीधर त्रिपाठी, निवासी ग्राम व पोस्ट डुडवा जमौली, जनपद कानपुर नगर (उ०प्र०)-न्यासी
- य. कु० देविका पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी 1370/16, विवेकानन्द नगर, सुलतानपुर (उ०प्र०)-न्यासी

1. इस ट्रस्ट का उद्देश्य धर्मोत्थान, उपासना, ज्ञान विज्ञान से जन साधारण को परिचित कराना नैतिक सदाचार, सद्भावना, सद्विचारों का प्रचार-प्रसार

ममता त्रिपाठी

राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम कुमार, निवासी 1370/18 विवेकानन्द नगर सुलतानपुर

सुशील कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम कुमार, निवासी 1370/18 विवेकानन्द नगर सुलतानपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

13AA 842298

- करना। समाज में बालक, बालिकाओं, वृद्ध, अनपढ़ों को शैक्षिक नैतिक चारित्रिक बौद्धिक शारीरिक एवं सामाजिक विकास करना।
2. समाज में बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड एवं भयंकर बीमारियों जैसी दैवी आपदा से पीड़ितों की यथा सम्भव सहायता करना, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
 3. शिक्षा जगत के बहुयामी नये नये प्रोग्राम जैसा सरकार द्वारा योजना बनायी जाय का क्रिया नवीनीकरण कराना बच्चों एवं जन-जन को अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू एवं अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना।
 4. ज्ञानवर्धक, हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय एवं छात्रावास आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना, गरीब एवं असहाय बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्युटिशियन फैशन डिजाइनिंग, शिल्प कला, कास्ट कला, दरी-कालीन, टंकण, आशु लिपिक, कम्प्यूटर, बालबाड़ी ऑगनबाड़ी एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
 5. केन्द्रीय विद्यालय, सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0, एन0सी0आर0टी0 एवं शिक्षा परिषद् से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करना गांव-गांव में संस्था की शाखाओं का निर्माण करना एवं इन्हें प्रधान कार्यालय से जोड़ना, सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र, पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस एवं कम्प्यूटरीकृत करना, बच्चों को शारीरिक शिक्षा, व्यायाम एवं खेलों का आयोजन करना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना करना एवं मान्यता लेना।

८ मम्ता बिपाठी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 842299

3

6. राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक बनाना तथा उनके अन्दर आत्म विश्वास, सदाचार, स्वात्मबल की भावना जागृति करना, राष्ट्र एवं आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना, समाज में व्याप्त कुुरीतियों, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि दोषों से अवगत कराकर सुधार करना, राजनैतिक पाखण्ड एवं स्वार्थों को समावेश न होने देना।
7. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं, एजेंसियों, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उनके कार्यक्रमों को संचालित करना तथा आर्थिक सहायता के रूप में ऋण/अनुदान प्राप्त करना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं कमीशन, लघु कुटीर उद्योग विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाने व उनके प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाकर उपयोगी जानकारी देना एवं नि:शुल्क संचालन करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विकास के हेतु नि:शुल्क शिक्षा का संचालन एवं प्रचार-प्रसार करना पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं जन-जन में जागृति पैदा करना।
8. राष्ट्र के सभी समुदाय के लिए प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना। सम्बन्धित संस्थाओं के संचालन हेतु मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी प्रबन्धक होंगे तथा अन्य ट्रस्टीगण उस संस्था के सदस्य होंगे अथवा अलग से सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनकी संख्या अधिकतम 11 हो सकती है इन संस्थाओं का हिसाब किताब एवं सम्पत्ति अलग होगी। परन्तु ट्रस्ट से सम्बन्धित रहेंगे।

सम्पत्ति अलग होगी। परन्तु ट्रस्ट से सम्बन्धित रहेंगे।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

13AA 842300

9. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण भी कर सकेगा, जिसमें ट्रस्टी/ट्रस्टियों के अतिरिक्त अन्य सक्रिय परिजनों एवं कर्मठ नागरिकों का भी समावेश किया जा सकेगा। इन समितियों/उपसमितियों हेतु नियम/उपनियम ट्रस्ट मण्डल के द्वारा बनाये जा सकेंगे। जो पूर्णतः बन्धन कारक होंगे। समितियों एवं उप समितियों को भंग करने अथवा पुनर्गठित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को होगा। ट्रस्ट मण्डल में समितियों/उपसमितियों के निर्माण में कर्मठ उत्साही एवं तेजस्वी कार्यकर्ताओं को समुचित स्थान दिया जायेगा। प्रभारी एवं पदाधिकारी कर्मठ, ईमानदार, तेजस्वी होना चाहिए। ट्रस्टी भी सदस्य के रूप में रह सकते हैं। नियुक्त कार्यकर्ताओं को ट्रस्ट मण्डल कार्यमुक्त कर सकता है।
10. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गृह उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकेगा एवं इसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा सकेगा। ट्रस्ट अपने उद्योगों से सम्बन्धित उत्पाद एवं निर्मित वस्तुओं का विपणन एवं वितरण विधि सम्मत तरीके से कर सकेगा। इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार भी कर सकेगा।
11. ट्रस्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, वार्षिक उत्सव एवं त्यौहारों को समुचित ढंग से मनाने का प्रबन्ध करेगा। ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन से अनुदान एवं ऋण अथवा चल-अचल सम्पत्ति शासन का सहयोग निःशर्त होने की दशा में प्राप्त कर सकेगा। भूमि इत्यादि अचल सम्पत्ति पर निर्धारित शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा।

८ ममता सिन्हा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

13AA 840269

12. समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, एवार्ड, सिडवी मानव संस्थान विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकारा, सिफसा, नावार्ड, सिडनी, बैंक ऑफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउंडेशन, नौशाह, अवाक्स इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्प संख्यक विभाग उ०प्र० एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ०प्र०, विकलांग निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यों में तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण द्वारा सहायता प्राप्त कर ग्रामीणों के कल्याणार्थ कार्य करना एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।
13. यदि कोई ट्रस्टी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाय, मृत्यु हो जाय, ट्रस्ट मण्डल द्वारा हटा या निकाल दिया जाय, स्वयं त्याग पत्र दे या संस्था को क्षति पहुँचाये या अपराधी प्रवृत्ति का हो तो उसके स्थान पर ट्रस्ट मण्डल नये ईमानदार कर्मठी ट्रस्ट के प्रति समर्पित व्यक्ति को बहुमत से चयनित करेगा। निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्ति की जा सकेगी।
14. ट्रस्ट फण्ड:- ट्रस्ट फण्ड के रूप में ट्रस्ट को मु० 5100/- रु० (पाँच हजार एक सौ रुपये) की राशि ट्रस्ट को प्रदान की गयी है और आशा की जाती है कि यह पूँजी सदैव बढ़ती रहेगी ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों हेतु दान ग्रहण करेंगे। ट्रस्ट फण्ड/सम्पत्ति निम्न प्रकार रहेगी:-
- अ. ट्रस्ट फण्ड की अभिवृद्धि एवं बढ़ोत्तरी करना।

समन्ता विष्णु

की मीटिंग में रखा जायेगा। ट्रस्ट की मीटिंग का कोरम आधे से अधिक ट्रस्टियों पर माना जायेगा। ट्रस्ट की मीटिंग मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी की अध्यक्षता में होगी अनुपस्थिति में कोई भी ट्रस्टी अध्यक्षता कर सकता है। निर्णय लेते समय यदि बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। मीटिंग की सूचना एवं कार्यवाही रजिस्ट्रारकित होगी। पारित निर्णय के प्रति समस्त सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत रहेंगे।

ट्रस्ट की मीटिंग:- मीटिंग हर तीसरे माह होगी। मीटिंग की सूचना नियत समय से एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिए। मीटिंग में अन्य व्यक्ति भी आहूति हो सकते हैं। आकस्मिक बैठक को 24 घण्टे पूर्व बुलाया जा सकता है, समितियों एवं उप समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों को भी मीटिंग में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है, परन्तु मताधिकार ट्रस्ट के मुख्य मण्डल को ही होगा। मीटिंग को कोरम दो सदस्यों की उपस्थिति से ही मान लिया जायेगा। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो नियत तिथि की मीटिंग नियत समय से एक घण्टे तक स्थगित रखी जायेगी। फिर भी कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग अगली तिथि हेतु स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित मीटिंग के बाद की मीटिंग का कोरम पूरा न हो तो मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी का निर्णय मान्य होगा। वार्षिक मीटिंग वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगी, जिसमें पिछले वर्ष एवं अगले वर्ष की योजनाओं पर विचार होगा।

18. इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश विदेश एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष में कार्य करने एवं प्रचार प्रसार व दान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
19. ममता त्रिपाठी प्रधान न्यासी होगी और प्रबन्ध समिति के कार्यालय का कार्य जीवन पर्यन्त करेंगी। वे अपने जीवनकाल तक अध्यक्ष रहेगी। अपने जीवनकाल में ही भावी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगी। किसी भी मामले में अन्तिम निर्णय पूर्ण रूप से लेने के लिए अधिकारी होगी। ये प्रबन्ध समिति को भंग करके सभी अधिकार, दायित्व अपने हक में कर सकती हैं। अगर यह अपने जीवनकाल में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाती हैं और इनकी आकस्मिक मृत्यु या शारीरिक अक्षमता होने की स्थिति में सुशील कुमार प्रधान न्यायी/अध्यक्ष होंगे तथा आजीवन प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की सारी शक्तियां इनमें निहित हो जायेगी।
20. दो न्यासी की उपस्थिति किसी बैठक में कोरम को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सभी प्रश्नगत मामले एवं उत्पन्न समस्याएँ न्यासीगण की सहमति से हल किये जायेंगे परन्तु प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

घोषणा-पत्र

यह कि उपर्युक्त पं० मुरलीधर त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट, पयागीपुर, सुलतानपुर उ०प्र० प्रधान कार्यालय के मुख्य ट्रस्टी श्रीमती ममता त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 15.01.2011 ई० को घोषणा की जाती है कि मैंने उपर्युक्त ट्रस्ट का गठन एवं निर्माण ट्रस्टियों की अनुमति से बिना किसी बाहरी दबाव के स्वस्थचित्त से करके

ममता त्रिपाठी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

13AA 840268

- ब. ट्रस्ट फण्ड मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा किया जाएगा।
- स. ट्रस्ट फण्ड द्वारा प्राप्त होने वाली सम्पत्ति एवं ट्रस्ट के अधिकार में आने वाले सम्पत्ति।
- द. ट्रस्ट को दान, उपहार, अनुदान इत्यादि जो प्राप्त होंगे।
- य. ट्रस्ट के पास मौजूदा समय में कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है।
15. ट्रस्ट का निवेश:- ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट फण्ड का निवेश बैंकों पो0 आफिस तथा आयकर अधिनियम धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित ट्रस्ट अधिनियमों में यथा संशोधन या परिवर्तन द्वारा निवेश होगा। इस फण्ड का उपयोग ट्रस्ट के फायदे के लिए व चल अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय एवं निर्माण में किया जायेगा।
16. बैंक खाते का संचालन:- खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसमें मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा संचालन होगा।
17. आय व्यय का ब्यौरा:- यह ट्रस्ट चैरिटेबुल प्रवृत्ति का है। दान भी ग्रहण करेगा। इसका हिसाब किताब रखना अति आवश्यक है। हिसाब किताब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगा। कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट का हिसाब अपने पास नहीं रखेगा। ट्रस्ट का हिसाब किताब ट्रस्ट कार्यालय में ही रहेगा। ट्रस्ट का सामान कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेगा। ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति लगाव रखा जायेगा। अनदेखी नहीं की जायेगी। ट्रस्ट की सम्पत्ति का एक रजिस्टर होगा, जो प्रमुख प्रबन्ध ट्रस्टी समय-समय पर प्रमाणित किया। आय-व्यय एवं सम्पत्ति की जाँच पड़ताल ट्रस्ट मण्डल द्वारा नियुक्ति लेखाकार से करायी जायेगी। आय व्यय एवं सम्पत्ति का ब्यौरा ट्रस्ट

प्रमता निवासी

(2)

लिपिबद्ध कर दिया और ट्रस्ट के लिए मुबलिक 5100.00 रु0 (पाँच हजार एक सौ रुपये) देकर इस ट्रस्ट की विधिवत् घोषणा किया।

उपरोक्त ट्रस्ट या उससे मिलते जुलते नाम का कोई अन्य ट्रस्ट हमारी जानकारी में जनपद में पूर्व में पंजीकृत नहीं है यदि कोई ट्रस्ट पाया जाता है तो अपने ट्रस्ट का नाम परिवर्तित कर लूंगी। इस न्याय घोषणा पत्र में अंकित सभी ट्रस्टी सदस्यों का नाम व पता दर्ज मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है सभी लोगों के हस्ताक्षर वर्णित लोगों द्वारा किये गये हैं।

ट्रस्टीगण की स्वीकृत

यह कि पं० मुरलीधर त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट उपरोक्त के समस्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के संविधान एवं नियमावली के अनुसार कार्य करने हेतु बचनबद्ध हैं एवं ट्रस्टी बनना स्वीकार करते हैं। दिनांक 15.01.2011 न्याय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है।

मुरलीधर त्रिपाठी

प्रमाणित करती

न्यायाधीश प्रसाद श्रीवास्तव

कानून-एन 24/11 नवम्बर

श्री गैर कीस रजिस्ट्रार- राजेश प्रसाद श्रीवास्तव

आज दिनांक 15/01/2011 को

वही सं. • 1 जिल्द सं. 15

पृष्ठ सं. 397 से 414 पृ. सं. 9

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

गंजमदीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पौ० कै० सिंह

उप निबंधक सदर

सुल्तानपुर

15/1/2011

